"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2013—कार्तिक 16, शक 1935

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2013

क्र. 05/परि. पत्र/03/2013-14/6030.— भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी आदेश संख्या 3/4/आई डी/2013/एस. डी. आर. (छत्तीसगढ़) दिनांक 31-10-2013 साधारण निर्वाचन-मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रयोग करने संबंधी आयोग के आदेश एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-
(सुनील कुमार कुजूर)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई-दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूम्बर 2013

आदेश

सं. 3/4/आई डी/2013/एस. डी. आर. (छत्तीसगढ़).—1. यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 यह उपबंधित करती है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने के आलोक में, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों को मत देने का अधिकार उपलब्ध हो, निर्वाचकों को मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग हेतु उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किए जाए ; तथा

2. यत:, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने तथा मतदान के समय उनकी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि निर्वाचकों को जारी किए जाने वाले उनकी फोटो सहित निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र राज्य के खर्च पर होंगे ; तथा

3. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का नियम 49 ज (3) तथा 49 ट (2) यह निर्दिष्ट करता है कि जहां निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने या मना करने पर यह परिणाम हो सकता है कि मतदान की अनुमति नहीं दी जाए ; तथा

4. यत:, उक्त अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों तथा नियमों के समन्वित एवं सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि, मतदान का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के विद्यमान होने पर ही प्राप्त होता है, फिर भी यह निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र , जो निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के खर्च पर मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है, के प्रयोग पर भी निर्भर करता है , तथा दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है , तथा

5. यत:, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया जिसमें यह निदेश दिया गया कि सभी निर्वाचकों को समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाएं; तथा

6. यत: आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावली के फार्मेट में निर्वाचक के अन्य विवरणों के साथ निर्वाचक के फोटो को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया है; तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के दौरान पंजीकृत निर्वाचकों की 99.43 : फोटो सही, फोटो निर्वाचक नामावली प्रयोग की जाएंगी.

7. यत; इसके अतिरिक्त आयोग ने फोटो पहचान-पत्र के डाटाबेस से 'प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची' को तैयार करने तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचकों को मतदान के दिन से पहले वितरित करने का निदेश दिया है,

8. अत:, अब, सभी सुसंगत तथ्यों तथा विधिक एवं तथ्यात्यक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग , दिनांक 18-10-2013 तथा 25-10-2013 को अधिसूचित छत्तीसगढ़ विधानसभा के साधारण निर्वाचन के लिए, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि

क. राज्य में 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक के सभी निर्वाचक, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें मतदान क़ेन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा ;

ख. ऐसे निर्वाचक जो किसी कारणवश, उन्हें जारी निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए, निर्वाचन तंत्र द्वारा ज़ारी 'प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची' प्रस्तुत करनी होगी;

ग. इस उद्देश्य से, सभी निर्वाचकों, जिनके फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हैं, उन्हें मतदान के दिन से कुछ दिन पहले 'प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची' वितरित की जाएंगी;

घ. रिटर्निंग आफिसरों मतदान अवधि के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी को प्रामाणिक फोटो मतदान पर्चियों की अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेगा ताकि यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपना प्रामाणिक फोटो मतदान पर्ची नहीं लाता है, तो वह अपने प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची की प्रति मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सकता है;

ङ. यदि कोई निर्वाचक जिसे निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया है, अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र अथवा प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसे निर्वाचक उपर्युक्त (घ) में यथा उल्लिखित मतदान केन्द्र के बाहर तैनात अधिकारी से डुप्लीकेट फोटो मतदाता पर्ची प्राप्त करेगा तथा इसे प्रस्तुत करेगा .

च. वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन निर्वाचकों के लिए होगी जिनकी फोटो निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नहीं है या जिनकी फोटो का मिलान नहीं होता है. उनको अपनी पहचान दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

(प) पासपोर्ट.

(पप) ड्राईविंग लाईसेंस .

(पपप) केन्द्रीय/ राज्य सरकार, सार्वजनिक सेक्टर ईकाईयों/ सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कार्मिकों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान-पत्र ।

(पअ) बैंक/डाक घर द्वारा जारी फोटो सहित पास बुक.

(अ) पैन कार्ड .

(अप) आधार कार्ड .

(अपप) एन पी आर के अधीन आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड.

(अपपप) मनरेगा जॉब कार्ड.

(पग) श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड.

(ग) फोटो सहित पेन्शन दस्तावेज.

9. उपरोक्त पैरा 8 में किसी भी बात के होते हुए प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन, उनके पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए हैं, को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा (और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं).

आदेश से,

हस्ता./-
(आशीष चक्रवर्ती)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 31st October 2013

ORDER

No. 3/4/ID/2013/SDR (Chhatt) . — 1. Whereas, Section 61 of the Representaion of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has revised the format of the electoral roll in the State of Chhattisgarh to incorporate the photo of the elector alongside the other particulars of the elector and the photo electoral roll with photos of 99.43% registered electors will be used during the current general election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh; and

7. Whereas, the Commission has further directed preparation of 'Authenticated Photo Voters Slip' from the database of photo electoral roll and to distribute these 'Authenticated Photo Voters Slips' to the electors before the date of poll for the current general election to the Legislative Assembly of Chhattisgarh for identification at the polling station on the day of poll;

8 Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the general election to the Chhattisgarh Legislative Assembly notified on 18-10-2013 and 25-10-2013-

a. All electors in each of the 90 Assembly Constituencies in the State, who have been issued EPIC have to produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes;

b. Electors who, for some reason, are not able to produce EPIC issued to them, shall have to produce the 'Authenticated Photo Voter Slip' issued by the election machinery for their identification;

c. For this purpose, Authenticated Photo Voter Slips shall be distributed to all electors, whose photos are available in the electoral roll, a few days before the poll day;

d. Returning Officer shall put one officer on duty outside each polling station, during polling hours, with an additional copy of the Authenticated Photo Voter Slips, so that any elector who has not brought his/her Authenticated Photo Voter Slip to the polling station, can collect a copy of his Authenticated Photo Voter Slip outside the polling stations;

e. If any elector who has been issued EPIC fails to produce his/her EPIC or the Authenticated Photo Voter Slip, then such elector shall collect the duplicate photo voter slip from the officer outside the polling station as given in (d) above and produce the same.

f. Alternative photo identity documents shall be permitted only for those electors whose photograph is not available in the Electoral Roll or whose photograph does not match. They shall have to produce any of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

i. Passport
ii. Driving License
iii. Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies.
iv. Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office
v. Pan Card
vi. Aadhar Card
vii. Smart Card issued by RGI under NPR
viii. MNREGA Job Card
ix. Health Insurance Smart Card issued under the scheme of M/o Labour
x Pension document with photograph.

9. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order

Sd/-
(Ashish Chakraborty)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.